Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

पत्रांकः पू.वि.वि. / एन0ओ0सी0सेल / 2016 / 13
दिनांक : 30.6.16

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय, रूकुनपुर रामपुरकांधी, देवलास,
मऊ ।

विषयः– प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 18.11.2015 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002, दिनांक–09 अगस्त 2012 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति प्रस्तावों के निस्तारण हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29.06.2016 एवं चार सदस्यों की संस्तुतियों दिनांक 30.06.2016 पर सम्यक् विचारोपरान्त माननीय कुलपति जी ने राजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय, रूकुनपुर रामपुरकांधी, देवलास, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

1. उप जिलाधिकारी, सदर मऊ के पत्र संख्या–2175/एसटी एसडीएम/2016 दिनांक 07.05.2016 के अनुसार ग्राम– रूकुनपुर तहसील– मुहम्मदाबाद गोहना जिला–मऊ के गाटा संख्या–64/0.408 हे0, 65/0.014 हे0 67/0.106 हे, 68/0.108 हे0 व रामपुर कांधी के गाटा संख्या 340/0.387 हे0 कुल रकबा 1.023 हे0 अर्थात 10230 वर्गमीटर भूमि है, ये सभी गाटे आपस में सटे व संयुक्त है, यह भूमि अकृषित किये जाने योग्य है, एवं महाविद्यालय के नाम विधित अंतरित है यह भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अन्यथा की दशा में अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उक्त विषय /पाठ्यक्रम में प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2000– 2(166)/2002, दिनांक–27 सितम्बर 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
6. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिया जायेगा
7. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख/प्रपत्रों/प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जा रही है तथा यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति स्वयं जिम्मेदार होगें।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना प्रदर्शित करेगें।
9. महाविद्यालय की भूमि का धारा 143 के अन्तर्गत अकृषित होने का प्रमाण अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गतः– महाविद्यालय की भूमि की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषित किये जाने हेतु कार्यवाही उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना मऊ के न्यायालय में विचाराधीन है, उक्त महाविद्यालय की एन0ओ0सी0 धारा 143 के अन्तर्गत दर्ज न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।
10. Aishe में पंजीकरण अग्रिम वर्षो के अन्तर्गत कराना अनिवार्य होगा।
11. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं अन्य शुल्कों के अग्रिम वर्षो का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, सदर मऊ ।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल ।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/2016/ 187
दिनांक : 30-9-16

सेवा में,

राजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय, रूकुनपुर रामपुरकांधी, देवलास,
मऊ ।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर कला संकाय/विज्ञान संकाय के विषयो/पाठ्यक्रम में सम्बद्वता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103 (1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश आधेनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्वता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में राजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय, रूकुनपुर रामपुरकांधी, देवलास, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान विषयों/ पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक–01.07.2016 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्वता प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्राचार्य/प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा, प्रबंध समिति का अनुमोदन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/ 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। तत्पश्चात ही विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 10.10 के अन्तर्गत कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी, संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जॉच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जॉच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जॉच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्वता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के कम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बंन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. प्रतिवर्ष Aishe के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य होगा।
11. विश्वविद्यालय में परीक्षाशुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
12. कक्षा संचालन हेतु निरीक्षण आख्या/अनुमति के उपरान्त कक्षा प्रारम्भ की जायेगी ।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. परीक्षा नियंत्रक/टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. उपकुलसचिव, शैक्षणिक, कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner